

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 137/2017

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2017/00542

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.शंकरलाल पुत्र भंवरलाल		1. पार्वतीदेवी पत्नी बाबूलाल
2.नेमाराम पुत्र भंवरलाल		2. जगदीश पुत्र छगनलाल
3.चन्द्रा बेवा भंवरलाल		3. छोटीदेवी पत्नी छगनलाल
जाति पालीवाल निवासी कुड़ी		4. भगवानाराम पुत्र छगनलाल
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		5. सुरेश पुत्र रामलाल नाबलिंग वली रामेश्वरी पत्नी रामलाल
		6.नारायण पुत्र रामलाल नाबलिंग वली रामेश्वरी पत्नी रामलाल
		7.रामेश्वरी पत्नी रामलाल जाति पालीवाल निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर
		8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री रुगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण
- 2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 28/11/2025



संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा कुड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 166,177,179 कुल रकबा 174.15 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 06.06.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया जिसे

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

सहायक-पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव
मुताबिक चाद डिग्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा चादीगण का चाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद
गौजा कुड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 106,177,179 कुल रकबा 174.15 बीघा
भूमि को संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	किस्म	लगान	वर्ग
1	शंकरलाल पुत्र भंवरलाल हि. 1/3,नेनाराम पुत्र भंवरलाल हि. 1/3 राहीन-(पूर्ण खाता) एस.बी.बी.जे. शाखा पचपदरा चन्द्रा पत्नी भंवरलाल हि. 1/3 जाति पालीवाल खातेदार।	कुड़ी	177	1.7240	बा.दो.	1.91	लाल
			179	3.4702	बा.दो.	3.85	
			179	3.4702	बा.दो.	3.85	
			166	5.3409	बा.अव्वल	8.24	
2	भगवानाराम पुत्र छगनलाल हि.1/5 छोटीदेवी पत्नी छगनलाल हि. 1/5 पार्यतिदेवी पत्नी बाबूलाल हि.1/5 हरीराम पुत्र जगदीश हि. 1/25 हिमताराम पुत्र जगदीश हि. 1/25 किशनादेवी पत्नी जगदीश हि 1/25 छेलादेवी पुत्री जगदीश हि. 1/25 रेखादेवी पुत्री जगदीश हि. 1/25 रामेश्वरी पत्नी रामलाल हि. 1/15 नाबालिग नारायण 1/15 सुरेश 1/15 पुत्र रामलाल सरंक्षक सुरेशपरस्त रामेश्वरी पत्नी रामलाल जाति-पालीवाल सा. देह खातेदार	कुड़ी	166	5.35	बा.अव्वल	8.24	पीला
			177	1.7239	बा.दो.	1.91	
			179	6.9403	बा.दो.	7.71	
	शंकरलाल पुत्र भंवरलाल हि.1/6 नेनाराम पुत्र भंवरलाल हि. 1/6 राहीन-(पूर्ण खाता) एस.बी.बी.जे. शाखा पचपदरा चन्द्रा पत्नी भंवरलाल हि. 1/6 जाति पालीवाल खातेदार। भगवानाराम पुत्र छगनलाल हि. 1/10	कुड़ी	166	0.0485	बा.अव्वल	0.07	काला
			177	0.1133	बा.दो.	0.13	
			179	0.0971	बा.दो.	0.11	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

छोटीदेवी पत्नी छगनलाल हि. 1/10						
पार्वतिदेवी पत्नी बाबूलाल हि. 1/10						
हरीराम पुत्र जगदीश हि. 1/50						
हिमताराम पुत्र जगदीश हि. 1/50						
किशनादेवी पत्नी जगदीश हि 1/50						
छेलादेवी पुत्री जगदीश हि. 1/50						
रेखादेवी पुत्री जगदीश हि. 1/50						
रामेश्वरी पत्नी रामलाल हि. 1/30						
नाबालिग नारायण 1/30 सुरेश 1/30 पुत्र रामलाल संरक्षक सरपरस्त रामेश्वरी पत्नी रामलाल जाति-पालीवाल सा. देह खातेदार						


तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण

भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 137/2017
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2017/00542
वादीगण बनाम प्रतिवादी

1. शंकरलाल पुत्र भंवरलाल
2. नेमाराम पुत्र भंवरलाल
3. चन्द्रा बेवा भंवरलाल
जाति पालीवाल निवासी कुड़ी
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1. पार्वतीदेवी पत्नी बाबूलाल
2. जगदीश पुत्र छगनलाल
3. छोटीदेवी पत्नी छगनलाल
4. भगवानाराम पुत्र छगनलाल
5. सुरेश पुत्र रामलाल नाबलिंग वली
रामेश्वरी पत्नी रामलाल
6. नारायण पुत्र रामलाल नाबलिंग वली
रामेश्वरी पत्नी रामलाल
7. रामेश्वरी पत्नी रामलाल
जाति पालीवाल निवासी कुड़ी तहसील
कल्याणपुर
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 137/2017
निर्णय दिनांक :-28.11.2025

वादीगण की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 28.11.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.11.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते है, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 28.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	_____	जोड़	_____



Govind 28/11/2017
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा